

93
CE(P)

प्रेषक,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

CAO-II
13/01/21
धन सिंह कुटियाल
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

संख्या- 31 /III(2)/21-24(एम.एल.ए.)2017TC-I

(65) SSO-II (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 6.482 किमी. एवं लागत रु0 295.43 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संलग्न विवरणानुसार प्रस्तुत 02 कार्यों हेतु संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 294.65 लाख (रुपये दो करोड़ चौरानब्बे लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक कार्य के लिये रु0 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) की दर से 02 कार्यों हेतु रु. 0.20 लाख (रुपये बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ला गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रक्योरमेण्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 735/XXVII(2)/2020 दिनांक 06 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
08/01/21
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/21-24(एम.एल.ए.)/2017TC-I तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।
11. गार्ड फाईल।

30/12/20 या 1/1/21 दि:- 15-1-21
सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।
1. श्री. मुख्य अभि. लो.नि.वि. देहरादून।
2. अधीक्ष. अभि. नवम् वृत्त, देहरादून।
3. अधीक्ष. अभि. अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., ऋषिकेश।
4. अधि. अभि. अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., ऋषिकेश।
5. कनिष्ठ अभि. प्रा. व. ज. र. का. कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून।

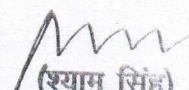
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
15/1/2021

संख्या-31 / III(2)/21-24(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. । दिनांक 11 जनवरी, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवशुद्ध की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-त्र्यपिकेश के हरिपुराकलां(प्रेम विहार कॉलोनी) के विभिन्न क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	2.982	140.38	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-त्र्यपिकेश के ग्राम सभा श्यामपुर में वार्ड संख्या-05 के मार्गों का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.500	154.27	0.10
	योग	6.482	294.65	0.20

(कुल रू० बीस हजार मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -31/III(2)/21-24(MLA)17TC|I
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220003
 आवंटन पत्र दिनांक-11-JAN-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				2350000		20000		0		2370000		
योग				2350000		20000		0		2370000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER